न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 157/2018 रा.रा.अ.

भोमा पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज०

... प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए प्राधिकरण रावत पैलेस के पीछे, गंगाविहार कालोनी, दौसा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) लालसोट

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित– 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हरीश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के अंतर्गत ग्राम नयावास के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भारत सरकार द्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 11ए को चार लेन बनाने हेतु ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा की भूमि अवाप्ति की जा रही है जिसमें सरकार के आदेशानुसार डी एल सी रेट के मुताबिक जमीन के ढाई गुना व निर्माण कार्य के दो गुना दर के हिसाब से मुआवजा राशि सभी मुआवजाधारियो को वितरित की जा रही है। उक्त अवाप्त की जा रही भूमि में प्रार्थी की लालसोट रोड सहारे प्रार्थी की 25 फीट इंटु 23 फीट कुल क्षेत्रफल 557 वर्गफीट है जो कि प्रार्थी की ग्राम पंचायत राहूवास द्वारा पट्टेशुदा भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का पट्टा दिये जाने के दिवस दिनांक 6 9द्86 से भी दसो वर्ष पूर्व का आधिपत्य चला आ रहा है तथा पट्टा क्रमांक 13/10 दिनांक 6–986 के उपरान्त पूर्ण स्वामित्व एवम आधिपत्य में प्रार्थी की उक्त पट्टेशुदा भूमि है उक्त सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दौसा लालसोट कोथून रोड फोर लेन बनाये जाने में अवाप्त की जा रही है। प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति जो अवाप्त की जा रही है, बाबत प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने के उपरान्त एवम मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा से तलब किये जाने एवम उक्त मौका ... से प्रार्थी की पट्टेशुदा भूमि अवाप्त किये जाने बाबत रिपोर्ट तलब किये जाने के ... भूमि की कोई मुआवजा राशि ही अवाप्त आदेश में शामिल ... प्रार्थी की उक्त पट्टेशुदा भूमि मौके पर व्यवसायिक प्रकृति की है जिसकी विधिवत मुआवजा राशि की संगणना ... जाकर प्रार्थी को मुआवजा राशि कानूनन प्रदान की जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा न किये जाने से जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधिनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट का विचाराधीन आदेश विधि विधान एवम विधि के सामान्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। तथा मुझ प्रार्थी को अवाप्त की जा रही पट्टेशुदा भूमि की उचित मुआवजा राशि दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की पट्टेशुदा 575 वर्ग फीट भूमि व्यवसायिक प्रयोजन की भूमिं है जिसकी कानूनन वाणिज्यिक भूमि की दर से संगणना की जाकर डी एल सी दर से दोगुना राशि के हिसाब से मुआवजा राशि वितरण प्रार्थी को किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि जो कि व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि है के सम्पूर्ण दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट आदि अधिनस्थ अप्रार्थी संख्या दो की पत्रावली में संलग्न है किन्तु इसके उपरान्त भी प्रार्थी की मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रस्तावित मुआवजा राशि की संगणनानुसार न की जाकर जानबूझकर प्रार्थी को नुकसान पहुचांने की नियत से प्रेरित होकर संगणना नही की गई है, जिसके फलस्वरूप भी उपरोक्त सभी तथ्यो को मध्येनजर रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मुआवजा राशि की संगणना कर प्रार्थी को उचित मुआवजा राशि दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी गांव का भोला भाला व्यक्ति है प्रार्थी को उक्त मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने बाबत कोई सूचना व्यक्तिशः नही दी गई। उक्त विचाराधीन आदेश की नकल प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उक्त विचाराधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधिनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी का विचाराधीन आदेश भूमि अवाप्ति अधिनियम के मेन्डेट्री प्रावधानो के विपरीत होने के कारण भी संशोधनीय है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की 575 वर्ग फीट भूमि जो कि पट्टेशुदा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की भूमि है, की उचित मुआवजा राशि डी एल सी दर से ढाई गुना राशि की दर से पुनः संगणना कर अपीलाधीन आदेश संशोधित फरमाते हुए प्रार्थी को उचित मुआवजा राशि का वितरण करने के आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3छ (5) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को हितबद्ध व्यक्ति द्वारा केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्ति की अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में मुआवजे की राशि की सही गणना नही गई हो, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के हित में कोई अवार्ड ही पारित नही किया गया है, चूँकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की विस्तृत अधिसूचना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के नाम से किसी भी भूमि को अवाप्त ही नही किया गया है और ना ही प्रार्थी द्वारा इस सम्बंध में कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । इस प्रकार प्रार्थना पत्र को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि विधि के प्रावधानों के अनुसार बाधित है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थी को बदनियती से हैरान व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज है। प्रार्थी ने किस भूमि के खसरा नम्बर की अवाप्ति व किस अवार्ड दिनांक को माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष चुनौती दी है, के सम्बंध में अपने प्रार्थना में कही भी अंकन नही किया है, यहां यह उल्लेखनीय है कि जब किसी भी वाद में जिस अवाप्ति व अवार्ड के प्रति अनुतोष चाहा गया है उसका वाद में सम्पूर्ण विवरण देना आवश्यक है। अतः इस आधर पर ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में तो कथन कर रहा है लेकिन उक्त भूमि किस खसरा [illegible] अंकन अपने प्रार्थना पत्र में कही भी नही किया है। प्रार्थी ने अपने कथन एवं [illegible] स्थिति के संबंध में एवं समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] कोई ट्रेस नक्शे की प्रति प्रस्तुत की है जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति का [illegible] लगाया जा सके, जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी की कितनी भूमि अवाप्त की [illegible] है व सडक से कितनी दूरी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार आवासीय व पेट्रोल पम्प हेतु भू–रूपांतरण सडक के मध्य से 40 मीटर छोडकर व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू–रूपांतरण सडक के मध्य से 75 मीटर छोडकर ही किया जा सकता है । अतः इस आधर पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। भारत सरकार द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 11 ए को चारलेन बनाने हेतु ग्राम नयावास, तहसील रामगढ पचवारा की भूमि अवाप्त की है परंतु भूमि के ढाई गुना डीएलसी रेट व निर्माण के दो गुना के संबंध में किये गये कथन अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन पुनर्वासन, ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–1 (3) राज0–6 /2011/ पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016, व संरचना का मुआवजा राजस्थान सरकार के स्टेंडिंग ऑर्डर नं. X/3/2015 दिनांक 15.07.2015 के अनुसार किया जाता है। प्रार्थी उक्त भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में तो कथन कर रहा है लेकिन उक्त भूमि किस खसरा नंबर में अंकित है, का अंकन अपने प्रार्थना पत्र में कही भी नही किया है। प्रार्थी ने अपने कथन एवं भूखण्ड की स्थिति के संबंध में एवं समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है और ना ही कोई नक्शें की प्रति प्रस्तुत की है जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत भूमि विक्रय विलेख के साथ ट्रेस मैप की प्रति प्रस्तुत नही की है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी की कितनी भूमि अवाप्त की गई है व सडक से कितनी दूरी पर स्थित है। प्रार्थी के विक्रय विलेख में कही भी प्रार्थी की भूमि के खसरा नंबर का अंकन नही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की विस्तृत अधिसूचना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के नाम की किसी भी भूमि को अवाप्त ही नही किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की उक्त भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त नही की गई है। प्रार्थी की भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त ही नही किया गया है। इसलिये बिना अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भी देय नही है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन करता है कि उसकी भूमि व्यावसायिक प्रकृति की थी, के संबंध में ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, इस तथ्य को साबित करने का भार भी प्रार्थी पर है परन्तु प्रार्थी अपने तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व विधिक प्रावधानों का पालन करते हुये अवार्ड दिनांक 04.09. 2016 पारित किया गया है जो नियमानुसार सही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति के लिये अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में भी करवाया गया लेकिन प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की विस्तृत अधिसूचना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के नाम की किसी भी भूमि को अवाप्त ही नही किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की उक्त भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त नही की गई है। विधि के प्रावधानो के अनुसार विना अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नही दिया जाता है। प्रार्थी 575 वर्गफीट भूमि के व्यावसायिक प्रयोजन के संबंध में कथन करता है, लेकिन उक्त भूमि किस खसरा नंबर पर स्थित है के संबंध में कोई कथन न[illegible] है और ना ही व्यावसायिक प्रयोजन से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी की भूमि व्यावसायिक प्रयोजन की [illegible] गुना राशि के हिसाब से राशि वितरित किये जाने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर व्यवसाय करने से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थी की किसी भी भूमि को अवाप्त नही किया गया है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना भी नही है, ऐसी दशा में मुआवजा देने का प्रश्न भी उठता ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी भूमि को जब अवाप्त किया जाता है तो उसका नियमानुसार मुआवजे का भुगतान भी किया जाता है। प्रार्थी का यह विधिक दायित्व था कि वह अपने प्रार्थना पत्र में जिस भूमि की अवाप्ति के संबंध मे कथन कर रहा है उसके संबंध मे संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिये था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे कि प्रार्थी की प्रार्थना को बल मिलता हो। अतः इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी भोला भाला व्यक्ति है व प्रार्थी को मुआवजा राशि की जानकारी नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अविलंब प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार नही हैं एवं गलत है। विधि के सिद्धांतो के अनुसार कोई व्यक्ति यह नही कह सकता है कि उसे विधि का ज्ञान नही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3ए (दिनांक 29.07.2015) व धारा 3डी (दिनांक 26.05. 2016) के अंतर्गत स्थानीय दो समाचार पत्रों में अधिसूचनाओं का प्रकाशन करवाया गया । स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन का उद्धेश्य ही यह था कि जन साधारण को भूमि की अवाप्ति से संबंधित सूचित किया जा सके एवं जिस किसी हितधारी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो, वह हितधारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकें। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड नियमानुसार है इसलिये संशोधन किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण आवेदन पत्र में सारहीन कथन दर्ज किये है। प्रार्थी द्वारा दर्ज प्रार्थना पत्र के कथनों में यह कही भी स्पष्ट नही किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.09.2016 किस प्रकार से भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानो के विपरित है । प्रार्थी का यह विधिक दायित्व है कि वह अपने प्रार्थना पत्र में उन तथ्यों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कथन करता, जिनसे यह साबित हो सके कि सक्षम प्राधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.09.2016 में समुचित मानदण्डो को अपनाकर मुआवजा राशि का निर्धारण नही किया गया हो, इस तथ्य को साबित करने का भार भी प्रार्थी पर है परन्तु प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.09.2016 विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से अवार्ड को संशोधित करवाने व कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के आधार पर मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किस ग्राम की कितनी भूमि को अवाप्त किया गया है यह अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा एन.एच.11 के को चारलेन बनाने हेतु ग्राम नयावास में प्रार्थी की लालसोट रोड सहारे क्षेत्रफल 557 वर्गफीट की पट्टशुदा [illegible] संबंध में मुआवजा दिलाने हेतु निवेदन किया जा रहा है। इस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लालसोट के द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी [illegible] द्वारा नंबर अंकित किया गया है ना ही संरचना संख्या। अतः जवाब प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। एनएचएआई का कथन है कि प्रार्थी के नाम से किसी भी भूमि [illegible] अवाप्त ही नहीं किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं धारा 3 जी (5) के तहत हितबद्ध व्यक्ति द्वारा केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब सक्षम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजे की सही गणना की गई हो। ऐसे में प्रकरण यहीं खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने कथन में भूखंड की स्थिति, दस्तावेजी साक्ष्य, नक्शा इत्यादि कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है।

8. चूंकि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोइ अवार्ड पारित नहीं किया गया है। यदि कोई सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किये गये मुआवजे के संबंध में किसी प्रकार का विवाद हो तो वह आर्बीट्रेटर के समक्ष चलाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधोहस्ताक्षकर्ता के न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:28 IST
Reason: SelfAttested